

नगर पालिका रींगस जिला-सीकर

पत्रावली संख्या 135 दिनांक 11.12.2012

पट्टा संख्या 298 दिनांक 14.12.2012

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख



यह विलेख आज वर्ष 2012 के माह दिस. के 14 वे दिन नगर पालिका रींगस (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री श्री गीतेश कुमार शर्मा पुत्र श्री श्री कृष्ण शर्मा जाति ब्रह्म व्यवसाय न्याय निवासी श्री 575 (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकलें, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम 233309.00 तथा विकास शुल्क 195980.00 की कुल 429289.00 अंकेही श्री गीतेश कुमार शर्मा रूपये रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा रसीद नम्बर/चालान नम्बर 54 दिनांक 14.12.12 द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिन्हें इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना श्री 575 राजस्व ग्राम श्री 575 के खसरा नम्बर 717 क्षेत्रफल 466.18 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इसके संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्:-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष के अप्रैल प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर 54 की रकम लीज 37325 के श्री 575 रूपये 298635 अंकेही श्री गीतेश कुमार शर्मा मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है को सम्मिलित करते हुए पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियम किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि - पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल श्री 575 प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट नेबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।


नगरपालिका अधिकारी
रींगस जिला-सीकर


उप-पट्टेदार (सीकर)

- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान-विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी, परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/ब्राह्म विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के अधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्रागप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसान के लिए दायी नहीं होगा।
- इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी. एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।



परिशिष्ट

मानचित्र संलग्न है।

कस्बे का नाम:- सीता
 राजस्व ग्राम :- सीता
 खसरा नम्बर :- 717
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर
4666.18 वर्गगज

भूमि का नाप व चतु सीमा का विवरण
 पूर्व 110'1" फीट
 पश्चिम 212'11" फीट
 उत्तर 329'9" फीट
 दक्षिण 281'4" फीट
 क्षेत्रफल 4666.18 वर्गगज

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकास की ओर से

आज सन् 2012 के माह दिस के 14 वें दिन
 श्री अशोक कुमार बरड
 के निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये -

[Signature]
 अधिष्ठाता अधिकारी
 नगर पालिका, सीता
[Signature]
 अध्यक्ष
 नगर पालिका, सीता

साक्षी :-

1. नाम अनिल कुमार बरड
 पुत्र श्री मोर सिंह बरड
 व्यवसाय अभियन्ता
 निवास स्थान पिपरानी रोड, सीता

[Signature]
 साक्षी

2. नाम अशोक कुमार
 पुत्र श्री हरिहराथ
 व्यवसाय नगरपालिका
 निवास स्थान नगरपालिका

[Signature]
 साक्षी

आज सन् 2012 के माह दिस के 14 वें दिन
 श्री अशोक कुमार बरड
 के निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये -

[Signature]
 (लीजधारक - द्वितीय पक्ष)

साक्षी :-

1. नाम अशोक कुमार
 पुत्र अशोक कुमार
 व्यवसाय अभियन्ता
 निवास स्थान नगरपालिका

[Signature]
 साक्षी

2. नाम काकुलाल निहाल
 पुत्र हनुमान निहाल
 व्यवसाय अभियन्ता
 निवास स्थान नगरपालिका

[Signature]
 साक्षी

SITE PLAN AT - WARD NO. 20, KH.NO. 717, RINGAS

APPLICANT - BHARTI SHIKSHAN SANSTHAN, RINGAS

SECRETARY - SH. RADHA KRISHAN S/O SH. PARTA RAM JAT


R/O - NETADWAS

DEED SHOWN THUS 

TOTAL AREA - 41995.63,4666 18 SQ. YDS.


SCALE 1"=640'

पञ्जाबी बिल्ला 135 दि 11-12-2012
पञ्जाबी 298 दि 14-12-2012 के साथ बिल्ला



भुजा A से B - 324'9"
 भुजा D से C - 281'4"
 भुजा A से D - 212'11"
 भुजा B से C - 116'1"

अध्यक्ष
 नगर पालिका, रिंगस


 अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका, रिंगस

कुल क्षेत्रफल 4666.18 वर्ग मीटर सेल्फिंग

नगर पालिका
 नगर पालिका, रिंगस

नगर पालिका रींगस जिला-सीकर

पत्रावली संख्या 1021 दिनांक 15/2/2013

पट्टा संख्या 575 दिनांक 8-5-2013

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोग के लिए उपयोग की अनुज्ञा और नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

प्रशासन शहर रींगस (आयान) 2012



यह विलेख आज वर्ष 2013 के माह फरवरी के 08 वे दिन नगर पालिका रींगस (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सरस्वी शिवा सरस्थान जारिने सचिव पुत्र श्री रघुशिवर प्रभाकर प्रभाकर 45210 रकम, जाति व्यवसाय निवासी वाई 70-20, रींगस (जिन्हें इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकलें, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम 195963=00 तथा विकास शुल्क 244954=00 की कुल 440917=00 अंकेही परगाँव पालिस एजार् नैल रूपये रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा रसीद नम्बर/चालान नम्बर 390 दिनांक 8/5/2013 द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिन्हें इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना स्नेहलगा बॉल्लो सी, वाई 70-20 राजस्व ग्राम रींगस के खसरा नम्बर 717 क्षेत्रफल 4899.08 वर्ग मी में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इसके संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्:-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष के अप्रैल प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 156770=00 अंकेही एक बार एक पत्र एजार् जारिने सचिव रकम मात्र पेशमी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है को सम्मिलित करते हुए पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियम किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि - पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल संचयन के लिए प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।

उप निजीयक
श्रीमती शर्मिष्ठा (सीकर)

- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान-विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ इस रूपरे पर प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी, परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/ब्राह्म विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्व अथवा भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसान के लिए दायी नहीं होगा।
- इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी. एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :- रींगस
 राजस्व ग्राम :- रींगस
 खसरा नम्बर :- 717
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर
4899.08 वर्ग मीटर

भूमि का नाप व चतु सीमा का विवरण
 पूर्व 243'-4" फीट
 पश्चिम 202'-3" फीट
 उत्तर 263'-10" फीट
 दक्षिण 156'-10" फीट
 क्षेत्रफल 4899.08 वर्गगज

मानचित्र संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकास की ओर से

आज सन् 2017 के माह मार्च के 08 वें दिन
 श्री प्रकाश कुमार उपाधी
 के निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये -

[Signature]
 अधिशाही अधिकारी
 नगर पालिका रींगस

[Signature]
 अध्यक्ष
 नगर पालिका रींगस

साक्षी :-

1. नाम प्रकाश कुमार उपाधी
 पुत्र प्रकाश कुमार
 व्यवसाय शिल्प
 निवास स्थान रींगस

साक्षी [Signature]

2. नाम प्रकाश कुमार उपाधी
 पुत्र प्रकाश कुमार
 व्यवसाय शिल्प
 निवास स्थान रींगस

साक्षी

आज सन् 2017 के माह मार्च के 08 वें दिन
 श्री प्रकाश कुमार उपाधी
 के निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये -

(लीजधारक - द्वितीय पक्ष)

साक्षी :-

1. नाम प्रकाश कुमार उपाधी
 पुत्र प्रकाश कुमार
 व्यवसाय शिल्प
 निवास स्थान रींगस

साक्षी

2. नाम प्रकाश कुमार उपाधी
 पुत्र प्रकाश कुमार
 व्यवसाय शिल्प
 निवास स्थान रींगस

साक्षी

[Signature]
 उप-मंजीयक
 श्रीमधीपुर (सीकर)

SITE PLAN AT - WARD NO. 20, KH.NO. 717, RINGAS
APPLICANT - BHARATI SHIKSHA SANSTHAN

N

SALLER - SH. RADHA KISHAN S/O SH. PARTA RAM
R/O - WARD NO. 20, RINGAS

DEED SHOWN THUS

TOTAL AREA - 4899.08 SQ. YDS.


पुस्तक सं 1021 डि 151213
पुस्तक सं 575 डि 85 ख. नं 17
क्षेत्रफल 4899.08 वर्ग मी.
संस्थागत

SCALE 1'640"

LAND OF BHARATI SHIKSHA SANSTHAN

R A S T A 30' WIDE

RESI. PLOTS






पुस्तक सं 575 डि 85
के माफ होकर

क्षेत्र 717 के 4899.08
क्षेत्रफल के माफ होकर
कांफेसरी जारी

LAND OF PRABHATA RAM
SURJA RAM, LAXMAN, HANMAN

RESI. PLOTS

ATTESTED

Sh. Radha Kishan
 Sh. Parta Ram
 NOTARY PUBLIC
 RINGAS (SIKAR) RAJ.

श्री. राजीव
अध्यक्ष (संस्था)

R A S T A 20' WIDE.